बिहार स्टेट सीड एण्ड आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी
(BIHAR STATE SEED AND ORGANIC CERTIFICATION AGENCY)
मीठापुर कृषि परिक्षेत्र परिसर, पटना
☎ :- 0612 - 2354358, E-mail: sca.patna@rediffmail.com
Website : www.bssca.co.in
An ISO 9001:2008 Certified Organisation

बीज प्रमाणन हेतु निबंधन की ऑनलाईन प्रक्रिया

1. किसान / बीज उत्पादक बीज प्रमाणन हेतु ऑनलाईन निबंधन के लिये निम्नलिखित कागजात अपने पास तैयार रखें :-
   - A. आधार कार्ड की छायाप्रति।
   - B. बीज उत्पादन किये जाने वाले जमीन की विवरण यथा खाता, खेसरा, रकवा, थाना संख्या।
   - C. निबंधन शुल्क जमा करने हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया यथा Debit Card, Credit Card, Net Banking, UPI, RTGS एवं NEFT के माध्यम से जमा करने की व्यवस्था।
   - D. किसान / बीज उत्पादक बीज उत्पादन किये जाने वाले प्रभेद का नाम।
   - E. बीज उत्पादन हेतु उपयोग किये जाने वाले बीज का क्रय रसीद एवं टैग।
   - F. बीज उत्पादन किये जाने वाले जमीन का अगल-बगल के अन्य फसलों या अन्य प्रभेदों की फसलों की दूरी (मीटर में)।

2. बिन्दुवार आवेदन भरने की प्रक्रिया।

   बीज उत्पादक संस्था का नाम – किसान जिस प्रसंस्करण इकाई में अपना बीज प्रसंस्करण करायेंगें उसका नाम चयन किया जाना है। सभी प्रसंस्करण इकाई की सूचि Drop Down पर उपलब्ध है।
3. बीज उत्पादन करने वाले किसान अपना पूर्ण विवरण आधार कार्ड के अनुसार अंकित करेंगें। अपना मोबाईल नंबर भी अंकित किया जाना है।
4. आधार कार्ड में अंकित आधार संख्या दर्ज किया जाना है।
5. आवेदन का प्रकार – समय पर आवेदन किया जा रहा है अथवा विलंब से Drop Down में चयन किया जाय।
6. बीज प्रमाणीकरण का विवरण –
   - A. बीज उत्पादन प्रकार – स्वपरागण (Self Pollinated) / परपरागण (Cross Pollinated) का Drop Down मे चयन किया जाना।
   - B. फसल का प्रकार – कौन सी फसल का बीज उत्पादन किया जा रहा है। Drop Down मे चयन किया जाना है।
   - C. प्रभेद का नाम – कौन से प्रभेद का बीज उत्पादन किया जा रहा है। Drop Down मे चयन किया जाना है।
   - D. प्रमाणीकरण हेतु उत्पादित होने वाले बीज की श्रेणी – आधार बीज / प्रमाणित बीज Drop Down मे चयन किया जाना है।
   - E. प्रमाणीकरण का रकवा – बीज उत्पादन किये जाने वाले जमीन का रकवा हेक्टेयर में अंकित किया जाना है। (1 हेक्टेयर = 2.5 Acre)

F. प्रमाणीकरण हेतु प्रयुक्त बीज की श्रेणी – बीज उत्पादन हेतु उपयोग किये जाने वाले बीज प्रजनक/आधार बीज है। Drop Down मे चयन किया जाना है।

G. स्त्रोत बीज निर्गत करने वाले संस्था का नाम एवं पता – बीज उत्पादक किस संस्थान से बीज क्रय किये है उसका नाम एवं पत्ता अंकित करें।

H. बीज स्त्रोत का विवरण – बीज क्रय का रसीद संख्या एवं टैग संख्या के रूप में नीचे दिये गये स्थान पर लिखें।

I. बीज फसल की बुआई का अनुमानित तिथि।

7. दस्तावेज के अपलोड करने हेतु अंकित स्थान पर क्रय रसीद एवं टैग को अपलोड किया जाय।

8. प्रमाणीकरण हेतु फसल किस मौसम में लगाई गई है।

A. वर्ष – वित्तीय वर्ष के रूप में Drop Down मे चयन किया जाय।

B. मौसम – Drop Down मे चयन किया जाय।

9. बीज प्रमाणीकरण का विवरण –

(क) – उत्तर से दक्षिण – बीज उत्पादन किये जाने वाले जमीन से उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी दुरी पर अन्य फसल/प्रभेद की दूरी है।

(ख) – दक्षिण से उत्तर – बीज उत्पादन किये जाने वाले जमीन से दक्षिण से उत्तर की ओर कितनी दुरी पर अन्य फसल/प्रभेद की दूरी है।

(ग) – पूरब से पश्चिम – बीज उत्पादन किये जाने वाले जमीन से पूरब से पश्चिम की ओर कितनी दुरी पर अन्य फसल/प्रभेद की दूरी है।

(घ) – पश्चिम से पूरब – बीज उत्पादन किये जाने वाले जमीन से पश्चिम से पूरब की ओर कितनी दुरी पर अन्य फसल/प्रभेद की दूरी है।

10. बीज उत्पादन फार्म का विवरण –

A. भूमि का प्रकार – सरकार जमीन अथवा निजी जमीन का चयन Drop Down से किया जाय। यदि सरकार जमीन यथा कृषि विभाग अथवा अन्य सरकारी विभाग/ कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र/ कृषि अनुसंधान संस्थान/राष्ट्रीय बीज निगम का अपना प्रक्षेत्र इत्यादि को सरकारी जमीन माना जायेगा। परन्तु राष्ट्रीय बीज निगम अथवा बिहार राज्य बीज निगम अथवा हिन्दुस्तान इंस्केटीसाईड लिमिटेड अथवा कृभको अथवा नाकोफ किसी किसान के जमीन पर बीज उत्पादन कराते है तो इसे निजी जमीन माना जायेगा। अगर सरकारी जमीन पर बीज उत्पादन किया जाता है तो उन्हें नीचे दिये गये विवरण भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर निजी जमीन पर बीज उत्पादन किया जाता है तो निचे दिये गये विवरणी दर्ज किया जाना आवश्यक है।

B. पूर्ण विवरणी भरने के पश्चात् बीज उत्पादक आवेदन को ऑनलाईन सबमिट करेंगें।

C. ऑनलाईन आवेदन सबमिशन के बाद निबंधन शुल्क की राशि जमा करने हेतु Dashboard पर परदर्शित होगा। किसान/बीज उत्पादक इस राशि को ऑनलाईन जमा करेगें। ाा
राशि जमा करने के उपरांत ही निबंधन संख्या Generate होगा।

D. राशि जमा करने के उपरांत निबंधन संख्या आवेदन में दर्ज मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से जायेगा। किसान/बीज उत्पादक इस निबंधन संख्या को भविष्य में पृच्छा के लिये सुरक्षित रखेंगे।

E. आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के बाद स्वतः संबंधित उप निदेशक बीज प्रमाणन के पास अग्रेतर कारवाई हेतु उनके Dashboard पर परदर्शित होगा।

F. उप निदेशक, बीज प्रमाणन अपने Dashboard पर परदर्शित आवेदन को कार्यालय के कम्पयुटर ऑपरेटर के माध्यम से आवेदन का समीक्षा करेंगें। अगर आवेदन में कोई त्रुटि है तो कम्पयुटर ऑपरेटर संबंधित किसान /बीज उत्पादन को तुरंत मोबाईल से संपर्क कर त्रुटि के बारे में बतायेंगें तथा त्रुटि निवारण हेतु आवश्यक कागजात अपने Whatsapp पर मंगाकर मुख्यालय को संबंधित सहायक के पास Whatsapp के माध्यम से उपलब्ध करायेगें। उप निदेशक बीज प्रमाणन को अधिकतम 15 दिनों की अवधि में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन (निबंधन) कर देना है अन्यथा स्वतः आवेदन मुख्यालय के Dashboard पर अग्रसारित हो जायेगा। अगर आवेदक द्वारा समय–सीमा के अंदर उप निदेशक को संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराता है तो उसे Reject कर देंगे जो कि मुख्यालय के Dashboard पर परदर्शित होगा। उप निदेशक के स्तर पर आवेदन में किसी प्रकार के Edit का Options नहीं दिया गया है। मुख्यालय में Rejected आवेदन पर पुर्न विचार किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के आधार पर Edit करते हुये आवश्यक संशोधन करते हुये निबंधन की कार्रवाई की जायेगी परन्तु अगर नियमानुसार आवेदन के कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो आवेदन अंतिम रूप से Rejected कर दिया जायेगा एवं निबंधन हेतु जमा की गई राशि वापस नहीं कि जायेगा।

G. निबंधित आवेदन स्वतः संबंधित बीज प्रमाणन निरीक्षकों के Dashboard पर चला जायेगा। बीज प्रमाणन निरीक्षक 15 दिनों के अंदर बीज उत्पादन होने वाले स्थल का भ्रमण कर Jio Tag Photograph एवं Jio Fencing का FIR के रूप में डाटा अपलोड किया जायेगा। FIR प्रपत्र में आवश्यक सूचनायें भी अंकित करेंगें।

H. फसल कटनी के 15 दिन पूर्व पुनः बीज उत्पादन स्थल का भ्रमण निश्चित रूप से करेंगें तथा भ्रमण के क्रम में फसल की स्थिति उत्पादित होने वाले बीज की मात्रा इत्यादि सुचनाएँ LIR प्रपत्र में अंकित करेंगं। LIR प्रपत्र में जितनी उत्पादकता उनके द्वारा अंकित किया जायेगा। उस उत्पादकता से (+) (-) 10 % अंतिम उत्पादन माना जायेगा। अगर उत्पादकता अंकित करते समय बीज उत्पादक को किसी तरह का आपत्ति हो तो बीज प्रमाणन निरीक्षक उनके सामने Crop Cutting कर ही अंकित करेंगें। इसके अतिरिक्त आगे की प्रक्रिया हेतु शीघ्र मार्गदर्शिका उपलब्ध कराया जायेगा।

30.12.2020

निदेशक

बसोका, पटना।